रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 1973/अग्रहायण 1, 1895
NO. 281] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 1973/AGRAHAYANA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd November 1973

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian cotton textiles for export to Denmark and Ireland (Irish Republic) during the Licensing year upto 31st December, 1973.*

No. 37-ETC(PN)/73.—With immediate effect, all varieties of mill-made textiles exported from India to Denmark and Ireland have been brought under Control *vide* E(C)O, 1968/AM(107) of to date.

2. Licences under the scheme shall be issued by the Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay on the basis of quota certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on first-come-first-served basis. The quota certificate will be issued to the exporters on presentation of firm contracts and a proforma invoice indicating, along with other details, the net weight in gs. of the goods, in the Form prescribed by Texprocil for the purpose.

3. For the purpose of exports and issuance of quota/licence, cotton textiles have been divided into the following two groups:

Group I.—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not. Group I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, C and C1

Group II.—Other cotton fabrics, madeup articles and miscellaneous articles of cotton:

Group II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3 and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

4. According to the agreement, imports of cotton textiles into Denmark and Ireland will be admitted by the respective competent Authorities only on presentation of the Green Certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which Danish and Irish Authorities would issue import licences.

5. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

7. A non-refundable charge of Rs. 10/- per ton will be levied by The Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 5/-.

8. All quota holders shall have to submit a monthly report to The Cotton Textiles Export Promotion Council, giving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

9. The E.E.C.—Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the performance from time to time (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (b) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

10. The address of The Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows: "ENGINEERING CENTRE", 5th Floor, 9, Mathew Road, Bombay-4.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली 22 नवम्बर, 1973

विषय :—लाइसेंस वर्ष 31 दिसम्बर, 1973 तक के दौरान डेनमार्क तथा (आयरलैण्ड) (आइरिश गणतंत्र) को भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना ।

संख्या:— 37-ई०टी०सी० (पी० एन०)/73.— डेनमार्क और आयरलैण्ड को भारत से निर्यातित विनिर्मित वस्त्र की सभी किस्मों को तत्काल से ही नियंत्रण में ले लिया गया है— देखिए ई (सी) ओ, 1968/ए एम (107) .

2. इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई से जारी किए गए कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर जारी किए जाएंगे। निर्यातकों को पक्की संविदाओं और अन्य ब्यौरों के साथ साथ टैक्समोमिल द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में माल का किलोग्राम में वास्तविक भजन दर्शाते हुए, एक बीजक प्रस्तुत करने पर ही कोटा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

3. निर्यातों और कोटा/लाइसेंसों को जारी करने के लिए सूती वस्त्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभक्त किया गया है :—

वर्ग —1 सूती वस्त्र, भूरे या विरंजित रेशमी सा बनाया हुआ या बिना विरंजित रेशमी सा बना हुआ। वर्ग—1 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आती हैं :—
बी, बी 1, बी 2, बी, 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8, सी तथा सी—1
वर्ग —2

अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री और सूत की विविध सामग्री :—

वर्ग 2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें आती हैं :—

सी 2, सी 3. सी 4, सी 5, सी 6, सी 7, सी, डी डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, ई, ई 1, ई 2, ई 3, ई 4, ई 5, ई 6, ई 7, ई 8, ई 9, ई 10, ई 11, एफ, एफ 1, एफ 2, एफ 3, तथा एफ 4।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के यहां मानकीकृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध हैं ।

4. करार के अनुसार डेनमार्क और आयरलैण्ड में सूतीवस्त्रों के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सार्टीफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही संबद्ध समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिस के आधार पर डेनिश और आइरिश प्राधिकारी लाइसेंस जारी करेंगे ।

5. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन के पोतलदान के लिए वैध होंगे ।

6. ई० ई० सी० आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटे हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।

7. कोटा जारी करने के लिए सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रति टन 10 रुपये के हिसाब से एक अदेय शुल्क वसूल किया जाएगा और यह न्यूनतम 5 रुपये के अधीन होगा ।

8. सभी कोटाधारी जिन को अलग-अलग लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके लिए उन्हें पोतलदान का विवरण देते हुए सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये ब्यौरे परिषद् के पास अनुवर्ती मास की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए।

9. ई० ई० सी० आस्ट्रिया वस्त्र सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे —(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय-समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे। कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदन से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए अधिकृत है। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रद्द कर दे और बिना किसी कारण के समनुदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए आवेदन पत्र को रद्द करदे।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पता निम्नलिखित है :—

"इंजीनियरिंग सेन्टर,
5वीं मंजिल,
9, मैथ्यू रोड,
बम्बई—4

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973